न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– डॉ. सूरज सिंह नेगी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
37 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022	03.06.2022	28.08.2023

डॉ. मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री सुमित जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन ऑथोराईज्ड व्यक्ति मैसर्स डील शेयर बडा कुंगा मोती बाग रोड टोंक जिला टोंक निवासी बडा कुंआ देवली रोड टोंक जिला टोंक राज.
2–श्री सौरजयेन्डू मिड्डा डायरेक्टर मैसर्स मेराबो लैब्स प्रा. लि. ई–773, रोड नं. 13 वीकेआई एरिया जयपुर रजि. ऑफिस–बी–10 महालक्ष्मी नगर वर्ल्ड ट्रेड पार्क के पीछे जेएलएनल मार्ग जयपुर राज.
3–श्री विनीत सुधाकर राव डायरेक्टर मैसर्स मेराबो लैब्स प्रा. लि. ई–773, रोड नं. 13 वीकेआई एरिया जयपुर रजि. ऑफिस–बी–10 महालक्ष्मी नगर वर्ल्ड ट्रेड पार्क के पीछे जेएलएनल मार्ग जयपुर राज.
4–श्री शंकर बौरा डायरेक्टर मैसर्स मेराबो लैब्स प्रा. लि. ई–773, रोड नं. 13 वीकेआई एरिया जयपुर रजि. ऑफिस–बी–10 महालक्ष्मी नगर वर्ल्ड ट्रेड पार्क के पीछे जेएलएनल मार्ग जयपुर राज.
5–श्री संदीप सिंहल डायरेक्टर मैसर्स मेराबो लैब्स प्रा. लि. ई–773, रोड नं. 13 वीकेआई एरिया जयपुर रजि. ऑफिस–बी–10 महालक्ष्मी नगर वर्ल्ड ट्रेड पार्क के पीछे जेएलएनल मार्ग जयपुर राज.
6–श्री नेम सिंह पुत्र श्री हेम सिंह प्रोपरायटर मैसर्स विश्वकर्मा डेयरी जाहोटा बस स्टैण्ड जाहोटा तह. आमेर जिला जयपुर

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) व (iii) एफ.एस.एस. एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक श्री दीपक अग्रवाल उप.।

:–निर्णय–: **दिनांक 28.08.2023**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.10.2021 को समय 11:49 एएम पर मैसर्स डील शेयर बडा कुंगा मोती बाग रोड टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां श्री सुमित जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सुमित जैन ने स्वयं को मैसर्स डील शेयर बडा कुंगा मोती बाग रोड टोंक जिला टोंक का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र नहीं होना जाहिर किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **घी मिल्क फ्रेश ब्राण्ड (Ghee Milk Fresh Brand)** के एक कार्टून में 500–500 एमएल के 5 नग व 1–1 लीटर के 3 नग मूल पैक रखे हुए थे, जिसका निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री सुमित जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री सुमित जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **घी मिल्क फ्रेश ब्राण्ड (Ghee Milk Fresh Brand)** जिसके बैच नम्बर केएलएसए–1 एवं पैकिंग की दिनांक सितम्बर 2021 थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 1 लीटर का 1 मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी मिल्क फ्रेश ब्राण्ड (Ghee Milk Fresh Brand)** 1 लीटर पैक को खोकर उक्त घी को प्लास्टिक की चार साफ व सूखी शिशियों में बराबर–बराबर (प्रत्येक शिशी में 250–250 एमएल) भरकर चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2938 दर्ज किया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2938 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज. जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री सुमित जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स मेराबो लैब्स प्रा. लि. ई–773, रोड नं. 13 वीकेआई एरिया जयपुर का खरीद बिल प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया जिससे आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स विश्वकर्मा डेयरी जाहोटा बस स्टैण्ड जाहोटा तह. आमेर जिला जयपुर का बिल प्रस्तुत किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2021/3161 दिनांक 10.11.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस./1186/एक्ट/2021/1169 दिनांक 20.10.2021 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **घी मिल्क फ्रेश ब्राण्ड (Ghee Milk Fresh Brand)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zx) का उल्लंघन करने के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 5 की ओर से श्री दीपक अग्रवाल एडवोकेट उपस्थित हुए एवं बहस की एवं बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। इसके लेबल पर सभी आवश्यक जानकारियां भी अंकित है। मात्र फैटी एसिड की जांच करने पर उक्त नमूना मानकों को पूरा नहीं करता है। खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं है। अतः उक्त प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **घी मिल्क फ्रेश ब्राण्ड (Ghee Milk Fresh Brand)** विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **घी मिल्क फ्रेश ब्राण्ड (Ghee Milk Fresh Brand)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) व (iii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 55 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 60,000/– (अक्षरे साठ हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 28.08.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0